# लालझाडी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३

गाउँ सभामा पेश मिति: २०८३/०३/०८

गाउँसभाबाट पारित मिति:२०८३।०३।१२

**प्रस्तावना:**

लालझाडी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने, छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम लालझाडी गाउँपालिकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ।

**(१) संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ**: (क) यस ऐनको नाम "लालझाडी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३" रहेको छ।
(ख) यो ऐन २०८३ श्रावण १ गतेदेखि लालझाडी गाउँपालिकामा लागू हुनेछ।

**(२) सम्पत्ति कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (१) बमोजिम सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

**(३) भूमी (मालपोत) कर**: गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रको जग्गा उपयोगका आधारमा अनुसूची (२) बमोजिम भूमी (मालपोत) कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

**(४) घर जग्गा बहाल कर**: गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा व्यक्ति वा संस्थालाई दिएमा अनुसूची (३) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

**(५) व्यवसाय कर**: गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी तथा आर्थिक कारोबार र व्यवसायगत प्रकृतिका आधारमा अनुसूची (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

**(६) कवाडी कर**: गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कवाडी मालवस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरेबापत् अनुसूची (५) बमोजिम कवाडी कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

**(७) सवारी साधन/सडक उपयोग कर**: अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ (संशोधनसहित) (क) अनुसार प्रदेशले असुली गर्ने सवारी साधन/सडक उपयोग करको दरबाहेक गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने टाङ्गा, अटोरिक्सा र विद्युतिय सवारी साधनमा अनुसूची (६) बमोजिम कर लगाईने र असुल उपर गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका बाटोमा सवारी साधन सञ्चालन गरे बाफत् सेवा शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

**(८) विज्ञापन कर:** अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ (संशोधनसहित) (ग) अनुसार विज्ञापन कर गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र अनुसूची (७) बमोजिमको दर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ।

**(९) मनोरञ्जन कर:** अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ (संशोधनसहित) (घ) अनुसार मनोरञ्जन कर गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र अनुसूची (८) बमोजिमको दर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ।

**(१०) बहाल बिटौरी शुल्क**: गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका अस्थायी टहरा, छाप्रा र सरकारी जग्गामा बनेको संरचनाको उपयोगबाफत् मेला, हाटबजार, आवास, पसल र छाप्रामा अनुसूची (९) बमोजिमको बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

**(११) पार्किङ्ग शुल्क**: गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराए बाफत् अनुसूची (१०) बमोजिमको पार्किङ्ग शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

**(१२) सेवा शुल्क/दस्तुर**: अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ (संशोधनसहित) मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय पूर्वाधार उपयोग गरेबाफत् र उपलब्ध गराएबाफत् सेवाग्राहीबाट सेवा शुल्क/दस्तुर गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र अनुसूची (११) बमोजिमको दर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

**(१३) पर्यटन शुल्क**: गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूची (१२) बमोजिमको पर्यटन शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ।

**(१४) प्राकृतिक स्रोत कर**: प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम गाउँपालिकाले अनुसूची (१३) बमोजिमको प्राकृतिक स्रोत कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

**(१५) सामुदायिक वनपैदावार बिक्री आय कर**: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६२ (ख) अनुसार सामुदायिक वनबाट वन पैदावार बिक्री आय सङ्कलन अनुसूची (१४) बमोजिम गरिनेछ।

**(१६) दण्ड जरिवाना**: अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ (संशोधनसहित) मा उल्लेख भए अनुसार दण्ड जरिवानाको दर गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र अनुसूची (१५) बमोजिमको लगाइने र असुल उपर गरिनेछ।

**(१७) कर छुट**: यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई ऐनमा भएको प्रावधान बाहेक कुनै किसिमको कर छुट दिईने छैन। सेवाग्राहीले कुनै पनि किसिमको सेवा लिनु पूर्व तिर्नुपर्ने सबै किसिमका कर तथा शुल्क तिरेपछि मात्र सेवा दिईने छ।

**(१८) बाँधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्ने**: यस ऐनको कार्यान्वयनमा क्रममा हड्ताल, दैविक प्रकोप वा प्राकृतिक विपत्तिको कारणले उल्लेखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था भएमा वा उल्लेखित ऐन तथा ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा गाउँ कार्यपालिकाले आवश्यकतानुसारको अवधि थप गर्न प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ।

**(१९) कर, शुल्क तथा दण्ड जरिवाना सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन सक्ने**: यस ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गाउँ कार्यपालिकाले कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ। साथै यस ऐनमा समावेश नभएका करका शीर्षक तथा दरहरु सम्बन्धित ऐन तथा कानून बमोजिम लागू गरिनेछ।

**अनुसूची १ (ऐनको दफा २ सँग सम्बन्धित) सम्पत्ति कर**

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ श्रावणदेखि लागू हुने गरी सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन दर

तपशिल:

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | रु. १ देखि २ लाखसम्म | ४२ |
| २. | रु. २ लाख १ देखि ३ लाखसम्म | ८३ |
| ३. | रु. ३ लाख १ देखि ४ लाखसम्म | १२५ |
| ४. | रु. ४ लाख १ देखि ५ लाखसम्म | १६५ |
| ५. | रु. ५ लाख १ देखि ६ लाखसम्म | २०६ |
| ६. | रु. ६ लाख १ देखि ७ लाखसम्म | २४८ |

| | | |
|---|---|---|
| ७. | रु. ७ लाख १ देखि ८ लाखसम्म | २९० |
| ८. | रु. ८ लाख १ देखि ९ लाखसम्म | ३१४ |
| ९. | रु. ९ लाख १ देखि १० लाखसम्म | ३३० |
| १०. | रु. १० लाख १ देखि ११ लाखसम्म | ४१३ |
| ११. | रु. ११ लाख १ देखि १२ लाखसम्म | ४३८ |
| १२. | रु. १२ लाख १ देखि १३ लाखसम्म | ४६२ |
| १३. | रु. १३ लाख १ देखि १४ लाखसम्म | ४८८ |
| १४. | रु. १४ लाख १ देखि १५ लाखसम्म | ५१२ |
| १५. | रु. १५ लाख १ देखि १६ लाखसम्म | ५३७ |
| १६. | रु. १६ लाख १ देखि १७ लाखसम्म | ५६१ |
| १७. | रु. १७ लाख १ देखि १८ लाखसम्म | ५८७ |
| १८. | रु. १८ लाख १ देखि १९ लाखसम्म | ६११ |
| १९. | रु. १९ लाख १ देखि २० लाखसम्म | ६६० |
| २०. | रु. २० लाख १ देखि २१ लाखसम्म | ८२५ |
| २१. | रु. २१ लाख १ देखि २२ लाखसम्म | ९०८ |
| २२. | रु. २२ लाख १ देखि २३ लाखसम्म | ९९० |
| २३. | रु. २३ लाख १ देखि २४ लाखसम्म | १०७३ |
| २४. | रु. २४ लाख १ देखि २५ लाखसम्म | ११५५ |
| २५. | रु. २५ लाख १ देखि २६ लाखसम्म | १२३८ |
| २६. | रु. २६ लाख १ देखि २७ लाखसम्म | १३२० |
| २७. | रु. २७ लाख १ देखि २८ लाखसम्म | १४०३ |
| २८. | रु. २८ लाख १ देखि २९ लाखसम्म | १४८५ |
| २९. | रु. २९ लाख १ देखि ३० लाखसम्म | १६५० |
| ३०. | रु. ३० लाख १ देखि ३२ लाखसम्म | १९८० |
| ३१. | रु. ३२ लाख १ देखि ३४ लाखसम्म | २२७७ |
| ३२. | रु. ३४ लाख १ देखि ३६ लाखसम्म | २५७४ |
| ३३. | रु. ३६ लाख १ देखि ३८ लाखसम्म | २८७१ |
| ३४. | रु. ३८ लाख १ देखि ४० लाखसम्म | ३१६८ |
| ३५. | रु. ४० लाख १ देखि ४२ लाखसम्म | ३४६५ |
| ३६. | रु. ४२ लाख १ देखि ४४ लाखसम्म | ३७६२ |
| ३७. | रु. ४४ लाख १ देखि ४६ लाखसम्म | ४०५९ |
| ३८. | रु. ४६ लाख १ देखि ४८ लाखसम्म | ४३५६ |
| ३९. | रु. ४८ लाख १ देखि ५० लाखसम्म | ४९५० |
| ४०. | रु. ५० लाख १ देखि ५२ लाखसम्म | ५७७५ |
| ४१. | रु. ५२ लाख १ देखि ५४ लाखसम्म | ६६७१ |
| ४२. | रु. ५४ लाख १ देखि ५६ लाखसम्म | ७५६५ |
| ४३. | रु. ५६ लाख १ देखि ५८ लाखसम्म | ८०१२ |

| | | |
|---|---|---|
| ४४. | रु. ५८ लाख १ देखि ६० लाखसम्म | ८४५९ |
| ४५. | रु. ६० लाख १ देखि ६५ लाखसम्म | ९३५३ |
| ४६. | रु. ६५ लाख १ देखि ७० लाखसम्म | १०२४७ |
| ४७. | रु. ७० लाख १ देखि ७५ लाखसम्म | १११४२ |
| ४८. | रु. ७५ लाख १ देखि ८० लाखसम्म | ११९४० |
| ४९. | रु. ८० लाख १ देखि ८५ लाखसम्म | १२९३० |
| ५०. | रु. ८५ लाख १ देखि ९० लाखसम्म | १३८२४ |
| ५१. | रु. ९० लाख १ देखि ९५ लाखसम्म | १४७१८ |
| ५२. | रु. ९५ लाख १ देखि १ करोडसम्म | १६५०० |
| ५३. | रु. १ करोड १ देखि १ करोड ५० लाख सम्म | ३३००० |
| ५४ | रु. १करोड ५० लाख १ देखि २ करोड | ३७५०० |
| ५५ | २ करोड १ देखि ३ करोड सम्म | ६०००० |
| ५६ | ३ करोड १ देखि ४ करोड सम्म | ९०००० |
| ५७ | ४ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | ११२५०० |
| ५८ | ५ करोड १ देखि माथि जतिसुकै भएपनि | प्रति हजार रु. २.५ ।- का दरले लाग्नेछ । |

(क) गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रको करयोग्य जगाको मूल्याङ्कन गर्दा न्यूनतम् मालपोत कार्यालय, कञ्चनपुरले निर्धारण गरेको दर वा करदाताले स्वयम् निर्धारण गरेको करमध्ये जुन धेरै हुन्छ सोलाई आ.व. २०८३/०८४ को भूमिकर निर्धारणको आधार मानिनेछ ।

(ख) यस पालिकामा निर्माण भएका घरहरुको मूल्याङ्कन देहाय बमोजिम गरिनेछ ।

तपशिल:

| क्र.सं. | घरको भौतिक संरचनाको वर्गीकरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर (प्रतिवर्ग फिट) | प्रतिवर्ष टुटफुट कट्टी दर (प्रतिशत) | कट्टी गर्ने वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| १. | आर्.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर | रु. १६५०।- | ०.७५ | १०० |
| २. | सिमेन्टको जोडाईमा ईटा वा ढुङ्गाको गारो र आर्.सी.सी. छाना भएको | रु. ८८०।- | १ | ७० |
| ३. | माटोको जोडाईमा ईटा वा ढुङ्गाको गारो र आर्.सी.सी. छाना भएको | रु. ५७८।- | २ | ३० |
| ४. | सिमेन्टको जोडाईमा ईटा वा ढुङ्गाको गारो र जस्ताको छाना भएको | रु. ६०५।- | १ | ७० |
| ५. | माटोको जोडाईमा ईटा वा ढुङ्गाको गारो र जस्ता वा टायलको छाना भएको | रु. ४९५।- | २ | ३० |
| ६. | काठ वा सिमेन्टको खम्बा र जस्ता वा टायलको छाना भएको | रु. ५२३।- | २ | ७० |
| ७. | माटोको जोडाईमा ईटा वा ढुङ्गाको गारो र जस्ता वा टायलको छाना भएको | रु. ४६८।- | २ | २० |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ८. | बाँस वा काठ वा सिमेन्टको खम्बा र जस्ता वा टायल वा खरको छाना भएको भूई घर | रु. ३३०।- | ५ | १५ |
| ९. | ईटा वा ढूङ्गाको पर्खाल | रु. ३३०।- | २ | ७० |
| १०. | कच्ची घर | रु. ११०।- | ० | ० |

प्रत्येक बर्ष ह्रासकट्टी निम्नानुसार हुनेछ।

(१) ५ बर्षसम्म लाग्ने छैन।

(२) ५ बर्षदेखि १० बर्षसम्म १०% लाग्नेछ।

(३) १० बर्षदेखि १५ बर्षसम्म १२% लाग्नेछ।

(४) १५ बर्षदेखि २० बर्षसम्म १५% लाग्नेछ।

(५) २० बर्षदेखि २५ बर्षसम्म १७% लाग्नेछ।

(६) २५ बर्षदेखि ३० बर्षसम्म १८% लाग्नेछ।

(७) ३० बर्षदेखि माथि जति बर्षसम्म १८% लाग्नेछ।

**अनुसूची २ (ऐनको दफा ३ सँग सम्बन्धित) मालपोत (भूमिकर)**

(क) जग्गा दर्ता पूर्जा भएको प्रति कट्ठा रु. २५ का दरले लाग्नेछ।

(ख) माथि (क) को बक्यौता रकममा पहिलो बर्ष १०%, दोस्रो बर्ष वा सो भन्दा माथि २५% जरिवाना लाग्नेछ।

**अनुसूची ३ (ऐनको दफा ४ सँग सम्बन्धित) घरजग्गा बहाल कर**

(क) लालझाडी गाउँपालिकाभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, गोदाम, अन्य घरजन्य क्षेत्र वा जग्गा पूर्ण वा आंशिक तवरले भाडामा दिएमा वार्षिक हुन आउने भाडा रकमको १० % रकम घर बहाल कर लाग्नेछ र जग्गा भाडामा दिएमा जग्गा बहाल कर २ % का दरले लाग्नेछ।

(ख) तर रोजगारी श्रृजना हुने कार्यमा कुनै महिला वा महिला समूहले जग्गा बहालमा लिएका रहेछन् भने माथि खण्ड "क" बमोजिम हुन आउने रकमको आधा रकम मात्र कर लाग्नेछ।

अनुसूची ४ (ऐनको दफा ५ सँग सम्बन्धित) व्यवसाय कर

**(क) गाउँपालिकाले लगाउने वार्षिक कर अनुसूची ४ (ख) भन्दाबाहेक**

| क्र.सं. | व्यवसायको पूँजी | दर्ता शुल्क | नविकरण शुल्क | नामसारी/ठाउँसारी शुल्क | खारेजी शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | रु. १,००,००० सम्म | रु. १,०००।- | रु. ५००।- | रु. ७००।- | रु. ५००।- |
| २. | रु. १,००,००१ देखि रु. ५,००,००० सम्म | रु. २,०००।- | रु. १,०००।- | रु. १,२००।- | रु. १,०००।- |
| ३. | रु. ५,००,००१ देखि रु. १०,००,००० सम्म | रु. ३,०००।- | रु. १,५००।- | रु. १,७००।- | रु. १,५००।- |
| ४. | रु. १०,००,००१ देखि रु. १५,००,००० सम्म | रु. ४,०००।- | रु. २,०००।- | रु. २,५००।- | रु. २,०००।- |
| ५. | रु. १५,००,००१ देखि रु. २०,००,००० सम्म | रु. ५,०००।- | रु. २,५००।- | रु. ३,०००।- | रु. २,५००।- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ६. | रु. २०,००,००१ देखि रु. ५०,००,००० सम्म | रु. १५,०००।- | रु. ७,५००।- | रु. ९,०००।- | रु. ७,५००।- |
| ७. | रु. ५०,००,००१ देखि रु. १,००,००,००० सम्म | रु. ३०,०००।- | रु.१५,०००।- | रु. १८,०००।- | रु. १५,०००।- |
| ८. | रु. एक करोडभन्दा माथि | रु. ४०,०००।- | रु.२०,०००।- | रु. २५,०००।- | रु. २०,०००।- |

नोट:-

(क) लालझाडी गाउँपालिकाभित्रका महिला व्यवसायीको हकमा दर्ता र नवीकरणमा २५% कर छुट दिईनेछ।

(ख) लालझाडी गाउँपालिकाभित्रका एकल महिला वा फरक क्षमता (अपाङ्गता) भएका व्यक्तिहरुद्वारा सञ्चालित व्यवसायको दर्ता र नविकरणमा ५०% कर छुट दिईनेछ।

(ग) खोका, छाप्रा, रेडा, ठेला र घुम्ति पसलहरुको हकमा रु. ५०० दर्ता दस्तुर लाग्नेछ। सोको नविकरण, खारेजी तथा नामसारी गर्दा दर्ता दस्तुरको ५०% लाग्नेछ।

(घ) अघिल्लो आ.व. मा नविकरण नभएका व्यवसायको हकमा असोज मशान्तसम्म नविकरण तथा खारेजी गरेमा जरिवाना नलाग्ने तथा त्यस समयपछि प्रत्येक वर्ष थप रु. २०% का दरले जरिवाना लिईनेछ।

(ङ) व्यवसायीले व्यवसायको दर्ता, नविकरण र खारेजी गर्दा तोकिएको दर बमोजिमको कर तथा दस्तुर अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्नेछ।

(ख)गाउँपालिकाले लगाउने वार्षिक कर (आ.व. २०८३/०८४)

| (क) | **गाउँपालिकाले लगाउने वार्षिक कर निजी क्षेत्रका अध्ययन संस्थानहरु** | |
|---|---|---|
| १. | पूर्वप्राथमिक तहका विद्यालय | रु. १०,०००।- |
| २. | आधारभूत तहका विद्यालय | रु. २०,०००।- |
| ३. | माद्यमिक तहका विद्यालय | रु. २५,०००।- |
| ४. | कम्प्यूटर ईस्टिच्युट | रु. २,०००।- |
| ५. | कोचिङ्ग ट्यूसन सेन्टर | रु. २,०००।- |
| ६. | सवारी साधन चालक तालिम सेन्टर | रु. २,०००।- |
| ७. | भाषा प्रशिक्षण केन्द्र | रु. ३,०००।- |
| ८. | व्यवशाय तथा प्राविधिक शिक्षालय | रु. ३,०००।- |
| ९. | होटल ट्रेनिङ्ग सेन्टर | रु. २,०००।- |
| १०. | EMIS खाता सञ्चालन ढिलो गरेवाफत् विद्यालयलाई जरिवाना | रु. १०,०००।- |

तर अघिल्लो आ.व. मा वार्षिक कर नबुझाएमा प्रत्येक वर्ष थप रु. २०% का दरले जरिवाना लिईनेछ।

**अनुसूची ५ (ऐनको दफा ६ सँग सम्बन्धित) कवाडी कर**

| **क्र.सं.** | **कवाडीको विवरण** | **आ.व. २०८३/०८४ को दर** |
|---|---|---|
| १. | फलाम | रु. ३ प्रतिके.जी. |
| २. | पितल, तामा, लगायत अन्य धातु | रु. ७ प्रतिके.जी. |
| ३. | बियरको खाली बोतल | रु. ०.७५ प्रतिबोतल |
| ४. | खाली बोतल मदिराको ५०० मिलि लिटरभन्दा माथी | रु. ०.७५ प्रतिबोतल |
| ५. | खाली बोतल मदिराको ५०० मिलि लिटरभन्दा मुनी | रु. ०.५ प्रतिबोतल |

| | | |
|---|---|---|
| ६. | प्लाष्टिकका बोतल र भाँडाकुँडा | रु. १.२५ प्रतिके.जी. |
| ७. | पुराना कागज र पत्रपत्रिका | रु. १.२५ प्रतिके.जी. |
| ८. | सिसाका टुक्राहरु | रु. ४.५ प्रतिके.जी. |
| ९. | काँचको धुलो र टुक्राहरु | रु. १.२५ प्रतिके.जी. |
| १०. | पोलिथिन पाईप | रु. १.२५ प्रतिके.जी. |

**अनुसूची ६ (ऐनको दफा ७ सँग सम्बन्धित) सवारी कर**

| क्र.सं. | सवारीको विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर प्रतिट्रिप (गा.पा.ले निर्माण गरेका सडकमा) |
|---|---|---|
| १. | अटोरिक्सा, ई-रिक्सा | रु. २०।- |
| २. | भाडाका जीप, कार र टेम्पो | रु. ३०।- |
| ३. | मिनि बस र मिनि ट्रक | रु. ४०।- |
| ४. | टेक्टर | रु. ५०।- |
| ५. | बस, ट्रक, लरी, लगायत भारी गाडी | रु. ६०।- |

**अनुसूची ७ (ऐनको दफा ८ सँग सम्बन्धित) विज्ञापन कर**

| क्र.सं. | विज्ञापनको विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | ईलेक्ट्रोनिक विज्ञापन | रु. ६० प्रतिवर्ग फिट |
| २. | होडिङ्ग बोर्ड | रु. ५५ प्रतिवर्ग फिट |
| ३. | डिसप्ले बोर्ड | रु. ४५ प्रतिवर्ग फिट |
| ४. | भित्ते लेखन | रु. २५ प्रतिवर्ग फिट |
| ५. | ब्यानर | रु. २५ प्रतिवर्ग फिट |
| ६. | प्रचारप्रसार गर्ने भ्यान गाडी | रु. १६० प्रतिहप्ता |
| ७. | गेट राख्ने | रु. ५५० प्रतिहप्ता |
| ८. | गाडीमा गरिने माईकिङ्ग | रु. ११० प्रतिहप्ता |
| ९. | १२ वर्गफिटसम्म | रु. ६५ प्रतिदिन |
| १०. | १२ देखि २४ वर्गफिटसम्म | रु. ४० प्रतिवर्गफिट |
| ११. | २४ वर्गफिटभन्दा माथि | रु. ५० प्रतिवर्गफिट |
| १२. | पोल ब्यानर वा पोष्टर | रु. २५ प्रतिपोल |

**अनुसूची ८ (ऐनको दफा ९ सँग सम्बन्धित) मनोरञ्जन कर**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | मिनि मेला, महोत्सव, वा खेलकुदको प्रवेश शुल्क तथा स्टल वापत प्राप्त रकममा | १० %(प्रतिशत) |
| २. | गा.पा.बाट स्वीकृत लिई न्यूनतम् ५ दिनसम्म सञ्चालन हुने मेला, महोत्सव, वा खेलकुदको प्रवेश शुल्कमा लाग्ने | रु. ३,५००।- |

| | | |
|---|---|---|
| ३. | गा.पा.बाट स्वीकृत लिई न्यूनतम् ५ दिनभन्दा बढी सञ्चालन हुने मेला, महोत्सव, वा खेलकुदको प्रवेश शुल्कमा थप प्रतिदिन | रु. १,५००।- |

**अनुसूची ९ (ऐनको दफा १० सँग सम्बन्धित) बहाल बिटौरी कर**

| क्र.सं. | जग्गाको विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | ऐलानी\प्रति जग्गा १ कठ्ठासम्म | रु. २५।- |
| २. | ऐलानी\प्रति जग्गा १ कठ्ठाभन्दामाथि प्रतिकठ्ठा | रु. ३०।- |
| ३. | ऐलानी\प्रति जग्गामा बनेको कच्ची घर | रु. ९०।- |
| ४. | ऐलानी\प्रति जग्गामा बनेको अर्धपक्की घर | रु. १२०।- |
| ५. | ऐलानी\प्रति जग्गामा बनेको पक्की घर | रु. १९०।- |
| ६. | ऐलानी\प्रति जग्गामा बनेको पक्की घरको प्रति तला थप | रु. १००।- |

**अनुसूची १० (ऐनको दफा ११ सँग सम्बन्धित) पार्किङ्ग शुल्क**

| क्र.सं. | सवारीको विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | अटोरिक्सा, ई-रिक्सा | रु. १५।- |
| २. | भाडाका जीप, कार र टेम्पो | रु. २०।- |
| ३. | मिनि बस र मिनि ट्रक | रु. ३०।- |
| ४. | टेक्टर | रु. ४०।- |
| ५. | बस, ट्रक, लरी, लगायत भारी गाडी | रु. ५०।- |

**अनुसूची ११ (ऐनको दफा १२ सँग सम्बन्धित) सेवा शुल्क दस्तुर**

**(क) सेवा शुल्क, सिफारिस तथा प्रमाणित दस्तुर**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | सामान्य सिफारिस दस्तुर | रु. १५०।- |
| २. | व्यवसाय दर्ता सिफारिस दस्तुर | रु. १,१००।- |
| ३. | नागरिकता सिफारिस दस्तुर | नि:शुल्क |
| ४. | वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता सिफारिस दस्तुर | रु. १,१००।- |
| ५. | बसोसास अङ्गिकृत नागरिकता सिफारिस दस्तुर | रु. ८,०००।- |
| ६. | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस दस्तुर | रु. २००।- |
| ७. | दुवै नाम तथा थर एकै हो भनि सिफारिस दस्तुर | रु. २५०।- |
| ८. | नामथर सच्याउने सिफारिस दस्तुर | रु. २५०।- |
| ९. | अङ्ग्रेजीमा गरिने सबै सिफारिस दस्तुर | रु. ५५०।- |
| १०. | नाता प्रमाणित दस्तुर | रु. ५५०।- |
| ११. | नाताकायम रहेको प्रमाणित दस्तुर | रु. ३५०।- |
| १२. | अंसियार प्रमाणित दस्तुर | रु. ३५०।- |

| | | |
|---|---|---|
| १३. | जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा प्रतिलिपि सिफारिस दस्तुर | रु. २५०।- |
| १४. | पारिवारिक विवरण प्रमाणित दस्तुर | रु. ३००।- |
| १५. | बसोबास प्रमाणित दस्तुर | रु. २००।- |
| १६. | नाबालक सिफारिस दस्तुर (अनाथ बालबालिकाको हकमा निशुल्क) | रु. १५०।- |
| १७. | जन्म मिति प्रमाणित दस्तुर | रु. २००।- |
| १८. | अविवाहित\विवाहित प्रमाणित दस्तुर | रु. २००।- |
| १९. | व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित दस्तुर | रु. २००।- |
| २०. | चारित्रिक सिफारिस दस्तुर | रु. २००।- |
| २१. | आदिवासी\जनजाति\मधेशी\दलित\पिछडिएको वर्ग भएको सिफारिस दस्तुर | रु. २००।- |
| २२. | व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिनसम्म (पञ्जिकरण) | नि:शुल्क |
| २३. | व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ औं दिनपछि जरिवाना | रु. २००।- |
| २४. | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि दस्तुर | रु. ५००।- |
| २५. | खानेपानी जडान, नामसारी वा ठाँउसारी सिफारिस दस्तुर | रु. २५०।- |
| २६. | घरायसी विद्युत् जडान, नामसारी वा ठाँउसारी सिफारिस दस्तुर | रु. ३५०।- |
| २७. | सिंचाई विद्युत् मिटर २ हर्सपावरसम्म सिफारिस दस्तुर | रु. ३५०।- |
| २८. | ५ हर्सपावरसम्म विद्युत् मिटर जडान सिफारिस दस्तुर | रु. ४५०।- |
| २९. | १० हर्सपावरसम्म विद्युत् मिटर जडान सिफारिस दस्तुर | रु. १,२००।- |
| ३०. | १० हर्सपावरभन्दा बढी विद्युत् मिटर जडान सिफारिस दस्तुर | रु. १,८००।- |
| ३१. | साना उद्योग विद्युत् जडान, नामसारी वा ठाँउसारी सिफारिस दस्तुर | रु. ७००।- |
| ३२. | मझौला उद्योग विद्युत् जडान, नामसारी वा ठाँउसारी सिफारिस दस्तुर | रु. १,१००।- |
| ३३. | ठूला उद्योग विद्युत् जडान, नामसारी वा ठाँउसारी सिफारिस दस्तुर | रु. २,०००।- |
| ३४. | ठाउँसारी काठको सिफारिस दस्तुर | रु. १०००।- |
| ३५. | बकाइनो, गुल्लर, भेल्लर, गुठिल लगायत कुकाठ प्रति रुख कटानी सिफारिस दस्तुर | रु. १५०।- |
| ३६. | सामाजिक-साँस्कृतिक कार्यको लागि काठ दाउराको सिफारिस दस्तुर | रु. २००।- |
| ३७. | दैवि प्रकोप र दाहसंस्कारको लागि काठको सिफारिस दस्तुर | नि:शुल्क |
| ३८. | कृषि व्यवसायको लागत अनुमान प्रमाणित दस्तुर | रु. १०००।- |
| ३९ | व्यवसाय दर्ता प्रमाण-पत्र दस्तुर | रु. ५५०।- |
| ४०. | बिर्को खोली मदिरा व्यवसाय सञ्चालन सिफारिस दस्तुर | रु. ८,५००।- |
| ४१. | बिर्को नखोली मदिरा व्यवसाय सञ्चालन सिफारिस दस्तुर | रु. १४,०००।- |
| ४२. | **चारकिल्ला प्रमाणित दस्तुर** | रु. ५५०।- |
| ४३. | सुर्तिजन्य व्यवसाय सिफारिस दस्तुर | रु. २,५००।- |
| ४४. | खाद्यान्न खरिद बिक्री सिफारिस दस्तुर | रु. ३,५००।- |
| ४५. | सर्जिमिन दस्तुर दस्तुर | रु. १,१००।- |
| ४६. | जग्गा नामसारी सिफारिस दस्तुर | रु. ५५०।- |
| ४७. | हालको बकस-पत्र सिफारिस दस्तुर | रु. ५५०।- |

| | | |
|---|---|---|
| ४८. | शेषपछिको बकस-पत्र सिफारिस दस्तुर | रु. ५५०।- |
| ४९. | सरकारी निकायमा दर्ता भएका संस्थालाई गा.पा.मा सूचीकृत दस्तुर | रु. ५५०।- |
| ५०. | सरकारी निकायमा दर्ता भएका व्यवसायलाई गा.पा.मा सूचीकृत दस्तुर | रु. १,१००।- |
| ५१. | सेवा प्रदायक व्यवसाय, फर्म, कम्पनी, व्यक्ति, संघसंस्था सूचीकृत दस्तुर | रु. ७५०।- |
| ५२. | संस्था लगायतलाई कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति/ईजाजत-पत्र/स्वीकृत दस्तुर | रु. ५००।- |
| ५३. | मुद्दाको निवेदन दस्तुर | रु. १५०।- |
| ५४. | मुद्दाको मेलमिलाप दस्तुर | रु. ५००।- |
| ५५. | घरजग्गा मूल्याङ्कन सिफारिस दस्तुर | रु. ५००।- |
| ५६. | टोल विकास संस्था  उपभोक्ता समिति दर्ता दस्तुर | रु. २००।- |
| ५७. | तमसुक प्रमाणित दस्तुर | १% |
| ५८. | कृषि सहकारी मलखाद सिफारिस दस्तुर | रु. ५००।- |
| ५९. | अन्य दर्ता, सिफारिस तथा प्रमाणिकरण दस्तुर | रु. ५००।- |
| ६० | संस्थागत विद्यालयको आधारभुत तह उत्तिर्ण परिक्षामा सहभागी परिक्षार्थि शुल्क | रु. ३०० ।- |
| ६१ | शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि | रु. ५००।- |

**(ख) हल भाडा तथा प्रोजेक्टर दस्तुर**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | बाह्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संघसंस्थाले गा.पा.को हल भाडामा लिएबाफत् | रु. १,२०० प्रतिदिन |
| २. | स्थानीय सरकारी तथा गैर-सरकारी संघसंस्था र गा.पा.का शाखाले गा.पा.को हल भाडामा लिएबाफत् | रु. ७०० प्रतिदिन |
| ३. | बाह्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संघसंस्थाले वडाको हल भाडामा लिएबाफत् | रु. १,००० प्रतिदिन |
| ४. | स्थानीय सरकारी तथा गैर-सरकारी संघसंस्था र गा.पा.का शाखाले वडाको हल भाडामा लिएबाफत् | रु. ५०० प्रतिदिन |

**(ग) उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण दस्तुर**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | धर्मकाटा सिफारिस १० टनसम्म | रु. ८५०।- |
| २. | धर्मकाटा सिफारिस १० देखिमाथि २० टनसम्म | रु. १,२००।- |
| ३. | धर्मकाटा सिफारिस २० भन्दामाथि | रु. १,६००।- |
| ४. | घ वर्गको निर्माण व्यवशायको इजाजत-पत्र दर्ता शुल्क | रु. १०,०००।- |
| ५. | घ वर्गको निर्माण व्यवशायको इजाजत-पत्र हकवालाको नामसारी शुल्क | रु. ५,०००।- |

| | | |
|---|---|---|
| ६. | घ वर्गको निर्माण व्यवशायको इजाजत-पत्र हकवालाको बाहेकको नामसारी शुल्क | रु. ५,५००।- |
| ७. | घ वर्गको निर्माण व्यवशायको इजाजत-पत्र नविकरण शुल्क असोज मसान्तभित्र | रु. ३,०००।- |
| ८. | घ वर्गको निर्माण व्यवशायको इजाजत-पत्र नविकरण शुल्क चैत्र मसान्तसम्म | रु. ५,५००।- |
| ९. | घ वर्गको निर्माण व्यवशायको इजाजत-पत्र खारेजी दस्तुर | रु. ३,०००।- |
| १०. | घ वर्गको निर्माण व्यवशायको इजाजत-पत्रको प्रतिलिपि दस्तुर | रु. १,५००।- |
| ११. | घ वर्गको निर्माण व्यवशायको इजाजत-पत्र प्रमाण-पत्र दस्तुर | रु. १,५००।- |
| १२. | सवारी साधन (ई-रिक्सा\ट्याम्पो) दर्ता/नामसारी/खारेजी शुल्क | रु. ५५०।– |
| १३. | गैर सरकारी संस्था दर्ता दस्तुर | रु. १०००।- |
| १४. | गैर सरकारी संस्था नविकरण दस्तुर | रु.५००।- |
| १५. | हाट बजार सञ्चालन अनुमती | रु.५०००।- |
| १६. | हाट बजार सञ्चालन अनुमती नविकरण | रु.२५००।- |
| १७. | होमस्टे दर्ता शुल्क सामुदायिक | रु.५०००।- |
| १८. | होमस्टे दर्ता शुल्क ब्यक्तिगत | रु.२०००।- |
| १९. | होमस्टे नविकरण शुल्क सामुदायिक | रु.१०००।- |
| २०. | होमस्टे नविकरण शुल्क ब्यक्तिगत | रु.१०००।- |

समयमै दर्ता नवीकरण नभएको हकमा जरिवाना वापत प्रति वर्ष २० % थप हुनेछ।

**(घ) घरबाटो भए/नभएको प्रमाणित दस्तुर**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | ५ कट्ठासम्म | रु. ५५०।- |
| २. | ६ कट्ठादेखि १ बिघासम्म | रु. ८५०।- |
| ३. | १ बिघादेखि २ बिघासम्म | रु. १,५००।- |
| ४. | २ बिघाभन्दा बढी | रु. २,०००।- |

**(ङ) आयस्रोत प्रमाणित शुल्क**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | स्वदेशी प्रयोजनका लागि रु १० लाखसम्म | रु. ५५०।- |
| २. | स्वदेशी प्रयोजनका लागि रु १० लाखदेखि रु २५ लाखसम्म | रु. १,२००।- |
| ३. | स्वदेशी प्रयोजनका रु २५ लाखदेखि माथि | रु. १,७००।- |
| ४. | वैदेशिक प्रयोजनका लागि रु १० लाखसम्म | रु. १,२००।- |
| ५. | वैदेशिक प्रयोजनका लागि रु १० लाखदेखि रु २५ लाखसम्म | रु. २,७००।- |
| ६. | वैदेशिक प्रयोजनका लागि रु २५ लाखदेखि रु ५० लाखसम्म | रु. ४,२००।- |
| ७. | वैदेशिक प्रयोजनका लागि रु ५० लाखदेखि रु ७५ लाखसम्म | रु. ५,२००।- |
| ८. | वैदेशिक प्रयोजनका लागि रु ७५ लाखदेखि रु १ करोडसम्म | रु. ६,२००।- |
| ९. | वैदेशिक प्रयोजनका लागि रु १ करोडदेखि रु १ करोड ५० लाखसम्म | रु. ८,२००।- |

| | | |
|---|---|---|
| १०. | वैदेशिक प्रयोजनका लागि रु १ करोड ५० लाखभन्दा माथि | प्रतिलाख थप रु. १,०००।- |

**(छ) शैक्षिक संस्थातर्फको अनुमति तथा सिफारिस दस्तुर**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | कक्षा थपको लागि अनुमति तथा सिफारिस दस्तुर | रु. १,५००।- |
| २. | आधारभूत तह अनुमति दस्तुर | रु. ७,५००।- |
| ३. | माद्यमिक तह अनुमति दस्तुर | रु. १५,०००।- |
| ४. | कक्षा १ देखि ५ सम्म सिफारिस दस्तुर | रु. ५,५००।- |
| ५. | कक्षा १ देखि ८ सम्म सिफारिस दस्तुर | रु. ७,५००।- |
| ६. | कक्षा १ देखि १० सम्म सिफारिस दस्तुर | रु. १२,०००।- |
| ७. | कक्षा १ देखि १२ सम्म सिफारिस दस्तुर | रु. १७,०००।- |
| ८. | संस्थागत विद्यालय आधारभूत तह स्थानान्तरण भई आउँदा | रु. १५,०००।- |
| ९. | संस्थागत विद्यालय माद्यामिक तह स्थानान्तरण भई आउँदा | रु. २०,०००।- |
| १०. | संस्थागत विद्यालय आधारभूत तह स्थानान्तरण भई जाँदा | रु. १५,०००।- |
| ११. | संस्थागत विद्यालय माद्यामिक तह स्थानान्तरण भई जाँदा | रु. २०,०००।- |

**(झ) बैङ्क तथा वित्तिय संस्थातर्फको सिफारिस तथा नवीकरण दस्तुर**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४को सिफारिस दस्तुर | आ.व. २०८३/०८४को नवीकरण दस्तुर |
|---|---|---|---|
| १. | क श्रेणी | रु. १४,०००।- | रु. १२,०००।- |
| २. | ख श्रेणी | रु. ८,५००।- | रु. ८,०००।- |
| ३. | ग र घ श्रेणी | रु. ५,५००।- | रु. ५,०००।- |
| ४. | कृषि सहकारी संस्था | रु. २,०००।- | रु. १,५००।- |
| ५. | बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | रु. ३,०००।- | रु. २,०००।- |
| ६. | आई.एम्.ई. रेमिट तथा मुद्रा सटही काउन्टर | रु. २,०००। | रु. २,०००। |
| ७. | बिमा कम्पनी | रु. ३,४००। | रु. ४,०००। |

**(ञ) नर्सिङ्ग होम र ट्रेनिङ्ग ईष्टिच्युट सिफारिस दस्तुर**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४को सिफारिस दस्तुर | आ.व. २०८३/०८४ को दर नवीकरण दस्तुर |
|---|---|---|---|
| १. | नर्सिङ्ग होम र ट्रेनिङ्ग ईष्टिच्युट | रु. १७,००० | रु. १५,०००।- |
| २. | नर्सिङ्ग होम | रु. ५,२०० | रु. ५,०००।- |
| ३. | ट्रेनिङ्ग ईष्टिच्युट | रु. ३,७०० | रु. ३,५००।- |

सार्वजनिक मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जित, चर्च र पाटीपौवाको हकमा नि:शुल्क सिफारिस गरिनेछ ।

(ट) **घरजग्गा प्रमाणित सम्बन्धी दस्तुर**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | नक्सा पास प्रमाण-पत्र दस्तुर | रु. ५५०।- |
| २. | ग्रामिण क्षेत्रमा घर नक्सा प्रमाणित दस्तुर | रु. २.५ प्रतिवर्गफुट |
| ३. | शहरी क्षेत्रमा घर नक्सा प्रमाणित दस्तुर | रु. ३.५ प्रतिवर्गफुट |
| ४. | जस्ताको छानाको घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्र | रु. ३३०।- |
| ५. | आर्.सी.सी. फ्रेमस्ट्रक्चर १००० वर्गफुटभन्दा कम क्षेत्रफलको घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्र | रु. ५५०।- |
| ६. | आर्.सी.सी. फ्रेमस्ट्रक्चर १००० वर्गफुटभन्दा बढी क्षेत्रफलको घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्र | रु. ७७०।- |

(ठ) **पशुसेवा शुल्क दस्तुर**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | पशुसेवा शुल्क | नि:शुल्क |
| २. | गाई\भैसी परीक्षण शुल्क | रु. ५०।- |
| ३. | बाख्रा परीक्षण शुल्क | रु. २५।- |
| ४. | कुखुरा परीक्षण शुल्क | रु. १०।- |
| ५. | कुकुर\बिरालो परीक्षण शुल्क | रु. १००।- |
| ६. | गाई\भैसीको कृत्रिम गर्भाधान शुल्क | रु. १५०।- |
| ७. | बाख्राको कृत्रिम गर्भाधान शुल्क | रु. १००।- |
| ८. | गोबर, पिसाब र दुध परीक्षण शुल्क | रु. ५०।- |
| ९. | गाई\भैसीको गर्भ परीक्षण शुल्क | रु. ३००।- |

**(ड) कृषि, पशुपालन, उपभोक्ता समुह र महिलाको समूहसँग सम्बन्धित दस्तुर**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | दर्ता दस्तुर | रु. ६००।- |
| २. | नविकरण दस्तुर | रु. ३००।- |
| ३. | सिफारिस दस्तुर | रु. २५०।- |
| ४. | समूह प्रमाणपत्र दस्तुर | रु. ३००।- |
| ५. | खानेपानी उपभोक्ता समुह दर्ता दस्तुर | रु.१०००।- |
| ६. | खानेपानी उपभोक्ता समुह नविकरण | रु.५००।- |

**(ढ) गाउँपालिकाको कार्यालयमा रहेका टेक्टर, पानी ट्याङ्की, रोलर र ब्याक हो लोडर गाउँपालिकाले भाडामा दिँदा लाग्ने शुल्क दस्तुर**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | टेक्टर प्रतिदिन | रु. ३,७५०।- |
| २. | टेक्टर प्रतिघण्टा | रु. ५५०।- |
| ३. | टेक्टर माटो बोकेको २ किलोमिटरसम्मको प्रतिट्रिप | रु. ४५०।- |
| ४. | पानी ट्याङ्की ४ घण्टासम्मको | रु. १,२००।- |
| ५. | पानी ट्याङ्की ४ घण्टाभन्दा बढी भएमा | रु. १,७००।- |
| ६. | ट्याक्टर सहितको पानी ट्याङ्की | रु. ४,७५०।- |
| ७. | पानी ट्याङ्की निर्माण व्यवशायी र गाउँपालिकाबाहिर जाँदा | रु. १,७००।- |
| ८. | रोलर गा.पा.सँग सम्झौता भई हुने निर्माण कार्यका लागि प्रतिदिन (ईन्धन भाडामा लिने व्यक्तिले ब्यहोर्नु पर्ने) | रु. १२,०००।- (थप अपरेटरको भत्ता प्रतिदिन रु १,५००।- दिनुपर्नेछ) |
| ९. | रोलर गा.पा.सँग सम्झौता भई उपभोक्ताबाट हुने निर्माण कार्यका लागि प्रतिदिन (ईन्धन भाडामा लिने व्यक्तिले ब्यहोर्नु पर्ने) | रु. १,७००।- (थप अपरेटरको भत्ता प्रतिदिन रु. १,५००।- दिनुपर्नेछ) |
| १०. | रोलर निर्माण व्यवशायी वा अन्य व्यक्तिले लगेमा प्रतिदिन (ईन्धन भाडामा लिने व्यक्तिले ब्यहोर्नु पर्ने) | रु. १४,५००।- (थप अपरेटरको पारिश्रमिक प्रतिदिन रु १,५००।- दिनुपर्नेछ) |
| ११. | ब्याक हो लोडर व्यक्तिगत कामका लागि गाउँपालिकाभित्र प्रतिघण्टा | रु. २,५००।- |
| १२. | ब्याक हो लोडर सामुहिक कामका लागि गाउँपालिकाभित्र प्रतिघण्टा (ईन्धन भाडामा लिने व्यक्तिले ब्यहोर्नु पर्ने) | रु. १,०००।- |
| १३. | ब्याक हो लोडर सामुहिक कामका लागि गाउँपालिकाको क्षेत्रभन्दा बाहिर प्रतिघण्टा | रु. ३,०००।- |
| १४. | ब्याक हो लोडर गा.पा.सँग सम्झौता भई हुने निर्माण कार्यका लागि प्रतिघण्टा | रु. १,८००।- |
| १५. | ब्याक हो लोडर गा.पा.सँग सम्झौता भई निर्माण व्यवशायी वा अन्य व्यक्तिले लगेमा प्रतिघण्टा (ईन्धन भाडामा लिने व्यक्तिले ब्यहोर्नु पर्ने) | रु. २,८००।- |

नोटः निर्माण व्यवसायी तथा गाउँपालिका क्षेत्र भन्दा बाहिर प्रयोगको हकमा ५ घण्टा भन्दा बढीको हकमा अपरेटरको भत्ता वापत प्रतिदिन रु. १,०००।- दिनुपर्नेछ)

**अनुसूची १२ (ऐनको दफा ११ सँग सम्बन्धित) पर्यटन शुल्क**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | पर्यटकिय स्थल प्रवेश शुल्कको | १० % |

**अनुसूची १३ (ऐनको दफा १४ सँग सम्बन्धित) प्राकृतिक स्रोत शुल्क**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र रोडा स्वीकृत खानी क्षेत्रभन्दा बाहिर | प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ। |
| २. | व्यक्तिको निजि जग्गाबाट माटो विक्रि गर्दा जग्गा धनिले विक्रि गर्ने परिमाण एकिन गरि कार्यविधि अनुसार स्वीकृत / अनुमति लिई विक्रि गर्दा लाग्ने शुल्क | प्रति घनमिटर रु.२०।– का दरले ( अग्रिम एकमुष्ठ बुझाउनुपर्ने छ। ) |
| ३. | माटो तथा नदिजन्य वस्तुको अवैधानिक रुपमा उत्खनन तथा निकासा गरे बाफत् टेक्टरको जरिवाना | पहिलो पटक रु १५००० ।- दोस्रो पटकका लागि दोब्बर जरिवाना लाग्ने छ। |
| ४. | माटो तथा नदिजन्य वस्तुको अवैधानिक रुपमा उत्खनन तथा निकासा गरे बाफत् टिप्पर, ब्याकहो लोडर र स्काभेटरको जरिवाना | पहिलो पटक टिप्पर को रु ४०००० ।- दोस्रो पटक दोब्बर जरिवाना लाग्ने छ। पहिलो पटक स्काभेटरको रु ५०००० ।- दोस्रो पटक दोब्बर जरिवाना लाग्ने छ। |
| ५. | ठेक्का वा अमानतबाट माटो तथा नदिजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न ब्याक हो लोडर र स्काभेटरलाई अनुमति पत्र बाफत् | ब्याक हो लोडरलाई रु ५०००।– स्काभेटरलाई रु १००००।- |

**अनुसूची १४ (ऐनको दफा १५ सँग सम्बन्धित) बिक्री आय कर**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले उपभोक्ताभन्दा बाहेक अन्य व्यक्तिलाई ठेक्का, कोटेशन वा अन्य कुनै उपयुक्त प्रक्रियाबाट काठ तथा वन पैदावार बिक्री गर्दा सदर मूल्यको | १०% |

**अनुसूची १५ (ऐनको दफा १६ सँग सम्बन्धित) दण्ड जरिवाना**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | दण्ड जरिवाना | अन्य ऐन तथा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। |

**निकासी पैठारी कर**

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८३/०८४ को दर |
|---|---|---|
| १. | खसि/बाख्रा | ५० प्रति गोटा |
| २. | गाई/ गोरु | १०० प्रति गोटा |
| ३. | राँगा भैसी | २०० प्रति गोटा |



२०८३।०३।१८